संख्या : 43-दो(1)/XXXVI(1)/2006-34-दो(1)/04

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2006

विषयः रुड़की, जिला हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2129/यू०एच०सी०/एडमिन.बी/बजट/2001,दिनांक 11.8.06 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 75-दो(1)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004, दिनांक 16.11.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रुड़की, जिला हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रुपये 3,84,46,000/- के सापेक्ष पुनरीक्षित रुपये 6,03,96,000/-(रुपये छः करोड़, तीन लाख छियानवें हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत के विरूद्ध रु0 2,00,00,000/-(रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किश्त की स्वीकृति दी जायेगी ।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण चार समान किश्तों में किया जाय एवं पूर्व स्वीकृत किश्त के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(10) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(11) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(12) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-613/XXVII(5)/2006, दिनांक 11.10.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या-43-दो(1)/XXXVI(1)/2006-34-दो(1)/04-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार ।
4. मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, पौड़ी गढ़वाल ।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम०एम०सेमवाल)
अनु सचिव ।